

**कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला-कोरबा (छ.ग.)**

E-mail : dwcdkorba@gmail.com

Telephone : 07759-222618

क्रमांक / 5006 / मबावि / स्था. / 2026-27

कोरबा, दिनांक 22/10/2026

- / / विज्ञापन / / -

“शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह के लिए 02 पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन”

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के कियान्वयन हेतु शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह के 02 संविदा पदों के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.10.2026 से 07.11.2026 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को पंजीकृत/रजिस्टर्ड डाक से ही प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद नाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपयों में
		अना.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.पि.व	योग	
1	पैरामेडिकल स्टॉफ	1	0	0	0	1	11916 / -
2	सहायक सह रात्रि चौकीदार	1	0	0	0	1	7944 / -

उपरोक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर उपलब्ध है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 22/10/2026

पृ०क्र. / 5001 / म.बा.वि. / स्था. / 2026-27
प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला कोरबा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा (छ.ग.)



जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा छ.ग.

क्रमांक 15003/मबावि/स्था./2026-27

कोरबा, दिनांक 22/10/2026

-//विज्ञापन// -

शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह के लिए 02 पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के कियान्वयन हेतु शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह के 02 संविदा पदों के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.10.2026 से 07.11.2026 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को पंजीकृत/रजिस्टर्ड डाक से ही प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद नाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपयों में
		अना.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.पि.व	योग	
1	पैरामेडिकल स्टॉफ	1	0	0	0	1	11916/-
2	सहायक सह रात्रि चौकीदार	1	0	0	0	1	7944/-

बाल संप्रेक्षण गृह में रिक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी:-

(01) पद नाम :-

क्र.	पद नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	पैरामेडिकल स्टॉफ	एएनएम/एमपीडब्ल्यू अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र	-	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टॉफ के रूप में 02 वर्ष का कार्यानुभव	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान
2	सहायक सह रात्रि चौकीदार	5 वीं पास	-	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम में 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार का कार्यानुभव	-

(02) आयु सीमा :-

01. उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।
02. सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।
03. आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10 वीं की अंक सूची मान्य होगा।

(03) निवास :-

01. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

क्रमशः.....



(04) पदों हेतु आरक्षण:-

01. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
 02. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये की ऐसे करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- टीप:- कण्डिका 01 व 02 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभि-प्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(05) अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

01. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्ण कालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
 02. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
 03. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- टीप:- आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

(06) प्राप्त आवेदन पत्रों में आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए लिखित एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

(07) नियुक्ति प्राधिकारी :- उपरोक्त पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

(08) अंकीय प्रणाली :- निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंको की गणना निम्नानुसार होगी।

01. अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
02. निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
03. उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
04. लिखित एवं कौशल हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।
05. अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

(09) उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 08 के उप कंडिका 01 एवं 02 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात दस (1:10) के अनुपात में लिखित एवं कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

01. चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम

क्रमशः.....

अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

02. प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

(10) नियुक्ति की अवधि :-

01. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
02. बाल सम्पेक्षण गृह में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
03. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
04. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
05. उपरोक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

(11) आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

01. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
02. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
03. आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
04. आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
05. निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

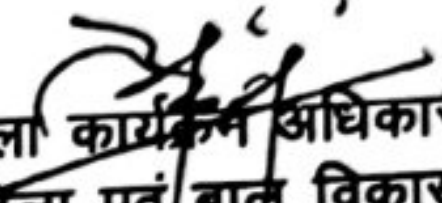
क्रमशः.....

-//4//-

06. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में कूटरचित/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- (12) चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
- (13) विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- (14) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नम्बर का उल्लेख किया जावे ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप:-

01. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
02. लिखित एवं कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
03. आवेदन में सभी संलग्न दस्तावेज एवं फोटो स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-(छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेक्षित पासपोर्ट
साईज फोटो पर
हस्ताक्षर जिराफा
अथवा भाग फोटो एवं
आपका आवेदन पत्र में
होना चाहिए धरना
करें

- आवेदित पद का नाम :-
- आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
- पिता/पति का नाम :-
- स्थायी पता :-
- (पत्र व्यवहार का पता) :-
- दूरभाष / मोबाईल :-
- ईमेल आईडी :-
- जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
- दिनांक 01/01/2026 को आयु :-
- लिंग पुरुष/महिला :-
- जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति वर्ग
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :-
- विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-
- यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि..... एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
- शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

५५



Scanned with OKEN Scanner

14. अन्य योग्यता का विवरण :-

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
3. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. 12वीं की अंकसूची।
5. स्नातक की अंकसूची।
6. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-

ॐ



Scanned with OKEN Scanner